श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय
बादशाहीथौल (टिहरी गढ़वाल) उत्तराखण्ड़-२४६१६६
Sri Dev Suman Uttarakhand University
Badshahithaul (Tehri Garhwal) Uttarakhand - 249199

पत्रांकः-3211/एसडीएसयूवी/प्रशासन/ 2022

दिनांकः 21 जुलाई, 2022

कार्यालय–आदेश

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढवाल के पत्र संख्या–409/एसडीएसयूवी/स्टोर/2022–23 दिनांक 19.04.2022 द्वारा स्टेशनरी से सम्बन्धित विभिन्न सामग्री क्रय हेतु प्रतिष्ठित फर्मों से सीलबन्द निविदायें दिनांक 05.05.2022 तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमन्त्रित की गयी थी। जिसके क्रम में विश्वविद्यालय को तीन निविदाय (1–मै0 सुरकण्डा जनरल आर्डर सप्लायर्स, हनुमान चौक बौराडी रोड, नई टिहरी, 2–मै0 पंवार इन्टरप्राईजेज, नियर केनरा बैंक मेन मार्केट, नई टिहरी एवं 3-- मै0 कम्प्यूटर लैण्ड, नियर केनरा बैंक मेन मार्केट नई टिहरी) प्राप्त हुयी।

विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति के द्वारा उक्त निविदादाता फर्मों का भौतिक सत्यापन कराया गया। भौतिक सत्यापन किये जाने पर मै0 सुरकण्डा जनरल आर्डर सप्लायर्स, हनुमान चौक बौराडी रोड, नई टिहरी फर्म/दुकान सम्बन्धित स्थान/दिये गये पते पर नहीं पायी गयी। फर्म द्वारा नियम विरूद्ध तरीके से निविदा में शामिल होने के कारण विश्वविद्यालय के पत्रांक 1092 दिनांक 21.05.2022 द्वारा निविदा निरस्त कर दी गयी। निविदा निरस्त होने के कारण विश्वविद्यालय को प्राप्त हुयी निविदा मूल रूप में वापस किये जाने पर मै0 सुरकण्डा जनरल आर्डर सप्लायर्स, हनुमान चौक बौराडी रोड, नई टिहरी द्वारा अंकित पते पर भारतीय डाक के माध्यम से प्रेषित की गयी, जिसे डाक विभाग द्वारा सम्बन्धित फर्म का कहीं अता पता न होने के कारण विश्वविद्यालय को वापस कर दिया गया।

विश्वविद्यालय द्वारा भौतिक सत्यापन तथा भारतीय डाक विभाग द्वारा रजिस्ट्रर्ड डाक विश्वविद्यालय को वापस आने से स्पष्ट होता है, कि सम्बन्धित फर्म द्वारा कूट रचित तरीके से विश्वविद्यालय की निविदा में भाग लिया और विश्वविद्यालय को गुमराह कर पूर्व में भी सामग्री की आपूर्ती की गयी।

अतएव विश्वविद्यालय को क्षति पहुंचाने एवं कूट रचित तरीके से निविदा में शामिल होने के कारण **मै0 सुरकण्डा जनरल आर्डर सप्लायर्स, हनुमान चौक बौराडी रोड, नई टिहरी को काली सूची में डाला जाता है** तथा भविष्य के लिये विश्वविद्यालय की निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु वंचित किया जाता है।

(के0 आर0 भट्ट)
कुलसचिव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव कुलपति को, मा0 कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल।
3. परीक्षा नियन्त्रक।
4. वरिष्ठ वित्त अधिकारी।
5. नोटिस बोर्ड हेतु।

(के0 आर0 भट्ट)
कुलसचिव।